

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)देव-02 / 2014:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री जॉन अनिल माल्टो, अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका के विरुद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर, झारखण्ड से प्राप्त शिकायत की विभागीय स्तर पर गहन समीक्षोपरान्त श्री माल्टो को निम्न दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

(1) चेतावनी।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1798

/राँची, दिनांक:- 09/07/14 /

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री जॉन अनिल माल्टो, अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

क.स.म.
9.7.14